न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 671 / 1988
केदारनाथ बनाम गोमती

05.02.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 96क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 96क2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा वादी सं0 3 रामनाथ की मृत्यु दिनांक 12.10.2016 को हो गई है। मृतक अविवाहित थे। मृतक के जायज व कानूनी वारिस वादीगण हैं। चूंकि मृतक के वारिसान पहले से पक्षकार मुकदमा हैं, इसलिए वाद के अवेट होने का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी स्थिति में मृतक के बाबत वादपत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 96क2 वादी सं0 3 रामनाथ की मृत्यु दिनांक 12.10.2016 को होने के फलस्वरूप वादपत्र में परिणामी संशोधन किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रस्तावित वारिस पहले से पक्षकार मुकदमा हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 96क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 96क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अमीन रिपोर्ट / एकपक्षीय साक्ष्य दिनांक 08.03.2019 को पेश हो।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती